जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 02-07-2021

आज दिनांक 02.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थान धनघटा पुलिस द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन व बिक्री के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अन्तर्गत 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता जीतू बेल्दार पुत्र सम्हारु बेल्दार निवासी बैजनाथपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 237/ 2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह यादव, हे0का0 अखिलेश सिंह, हे0का0 जयराम यादव, का0 दिलीप कुमार ।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 शातिर गैंगेस्टर को 01 अदद अवैध चाकू के साथ किया गया गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा जनपद के शातिर गौतस्कर नाम पता मो0 हुसैन पुत्र मजहर अली निवासी बाघनगर थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 204/21 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

विदित हो कि दिनांक 01.07.2021 को मो0 हुसैन पुत्र मजहर अली के विरुद्ध थाना दुधारा पर गौतस्करी के विभिन्न अभियोंगों के दर्ज होने व समाज में काफी भय, आतंक व साम्प्रदायिक साम्प्रदायिक सौहार्द खराब होने के खतरे तथा उक्त अभियुक्त के भय व आतंक से किसी व्यक्ति द्वारा इनके विरुद्ध इनके द्वारा किए गए गलत कार्यों की सूचना व गवाही देने से डरने के दृष्टिगत गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था । गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किए जाने के उपरान्त तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त गैंगेस्टर को आज दिनांक 02.07.2021 को गिरफ्तार किया गया

। अभियुक्त उपरोक्त के पास से बरामद 01 अदद अवैध चाकू के सम्बन्ध मे थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 161/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

मो0 हुसैन का संयुक्त अपराधिक इतिहास –

1-मु0अ0सं0 21/16 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर।

2-मु0अ0सं0 233/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर।

3-मु0अ0सं0 159/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर।

1- मु0अ0सं0 161/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर।

दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अम्बरीष भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 177/21 धारा 376 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता शिवनन्दन पुत्र बसंत निवासी भैसला थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ ट्यूशन से वापस आते समय बहला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा दिनांक 20.03.2021 को कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 02.07.2021 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अमित कुमार चतुर्वेदी मय हमराह ।

बहला फुसला कर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री अंशुमान मिश्रा** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना महुली पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 133/21 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता रवि उर्फ दीपचन्द पुत्र तिलक निवासी महुली थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था तथा बाद में दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध मे वादी द्वारा दिनांक 20.04.2021 को थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 02.07.2021 को थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए अपहृता को भी बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, का0 दीपेश सिंह, म0का0 पूजा।

1 किलो 540 ग्राम अवैध गाँजे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा एक अभियुक्त नाम पता ओमप्रकाश लोध पुत्र स्व0 रामउग्रह लोध निवासी कुड़वा बौरिया थाना सेमरियांवा थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को 1 किलो 540 ग्राम अवैध गॉजे के साथ गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 168/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सदरुल आलमीन मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 17 अभियुक्त गिरफ्तार

● **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3306 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 3306 को थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत लौकी लाला से इवेन्ट संख्या 15821 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 09 मिनट में पहुँचकर विवाद को शांत कराकर दोनों पक्षों के व्यक्तियों को थाना दुधारा के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ – आ0 सूरज भारती, हो0चा0 जयप्रकाश ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 170 वाहनो से 158500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 02.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 170 वाहनो से 158500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।